कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्यान गंगा शीड्स एण्ड फर्म्स, रामगंज, गोसाईगंज, फैजाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**008/ 17, 08.06.2017**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ए0पी0 मिश्रा, फर्म अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री ग्यान गंगा शीड्स एण्ड फर्म्स, रामगंज, गोसाईगंज, फैजाबाद द्वारा दिनांक 08.06.2017 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

"determine the tax on rejected seeds "

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ए0पी0 मिश्रा, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन, फैजाबाद के पत्र संख्या-1419, दिनांक 21.09.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थना पत्र विचाराधीन क्रय आदेश / स्वीकृति पत्र दिनांक 11-01-2016 एवं 07-04-2016 की ANNEXURE-2 की शर्त संख्या- 14 निविदा शर्त ANNEXURE-3 क्रयादेश / स्वीकृति पत्र बिन्दु संख्या-4 व 5 अनुपयुक्त बीज की बिक्री हेतु निर्गत की गयी है। उक्त निविदा में स्वत: स्पष्ट है कि यह अनुपयुक्त बीज है तथा इसका उपयोग बीज के रूप में किया जाना संभव नहीं है। यह तथ्य स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा पैरा संख्या-2 में स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम-2008 प्रश्नगत प्रविष्टि संख्या-34 अंकुरण के लिये उपयुक्त सीड्स को विज्ञापित करता है। अत: वैट अधिनियम में अन्यत्र किसी SCHEDULE में वर्गीकृत न होने के कारण अनुपयुक्त बीज वर्तमान में 12.5 + अतिरिक्त कर 2% की दर से करदेयता है।

यह कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-09-2009 प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होता। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम-2008 की प्रविष्टि के क्रमांक-34 में केवल सीड्स को उल्लिखित किया गया है, अर्थात "All seeds including seeds of oil seed " अंकुरण के लिये उपयुक्त माल को ही सीड्स माना जा सकता है। **(THE WORD ALL QUALIFIES THE WORD SEEDS**.) अत: अनुपयुक्त बीज अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5 + अतिरिक्त कर 2 % की दर से करदेयता के अन्तर्गत है। उत्तर प्रदेश वैट ऐक्ट एवं उत्तराखंण्ड वैट ऐक्ट की प्रविष्टियां भिन्न-भिन्न हैं, उत्तराखण्ड में प्रविष्टि निम्नवत है :- **"Seeds of all kind other than oil seeds."** अत: जो करदेयता उत्तराखण्ड में है, वह उत्तर प्रदेश में लागू नही है। उत्तर प्रदेश वैट ऐक्ट के अन्तर्गत अनुपयुक्त बीज कर मुक्त नहीं है तथा निविदा की शर्त से एवं व्यापारी के कथन से यह स्पष्ट है कि वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। अत: व्यापारी का यह कथन कि **"THERE IS NO CHANGE OF NATURE"** स्वीकार योग्य नही है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी फर्म द्वारा की गई खरीद के सम्बन्ध में दाखिल निविदा की शर्तें एवं क्रय आदेश में घोषित वस्तु विष मिश्रित अनुपयुक्त बीज जो मनुष्य अथवा जानवरों के खाने के उपयोग में नही लाया जायेगा, उल्लिखित किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी वस्तु से सम्बन्धित खरीद टैक्स इनवायसों पर 14.5 प्रतिशत की दर से कर दिया गया है। इससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा जो अनुप्रयुक्त बीज की खरीद / बिक्री घोषित की गयी है वह करमुक्त बीज से भिन्न है तथा इसका

.....2

सर्वश्री ग्यान गंगा शीड्स एण्ड फर्म्स / प्रा0 पत्र सं0-008 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-2

बीज के रुप में प्रयोग किया जाना संभव नही है । इस प्रकार यह रिजेक्टेड मटेरियल है जो बीज के रुप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है । व्यापारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उक्त वस्तु का प्रयोग किसानों द्वारा जैविक खाद / अखाद्य सामग्री के रुप में किया जाता है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की प्रविष्टि संख्या-34 से आच्छादित नहीं है

अतएव प्रार्थी द्वारा पृच्छित वस्तु "रिजेक्टेड सीड्स" उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची I, II, III व IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस परअवर्गीकृत की भॉति 12.5% व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन, फैजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा बिक्रीत वस्तु "रिजेक्टेड सीड्स" (अनुपयुक्त बीज) का प्रयोग जैविक खाद / अखाद्य सामाग्री के रुप में किये जाने के कारण करमुक्त बीज से भिन्न है तथा इनका बीज के रुप में प्रयोग संभव नही है । इस प्रकार यह रिजेक्टेड मटेरियल बीज की श्रेणी में आच्छादित नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त वस्तु की खरीद पर 14.5 प्रतिशत की दर से कर दिया गया है । अतएव प्रार्थी का पृच्छित वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की प्रविष्टि संख्या-34 से आच्छादित नहीं है एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची I, II, III व IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

ह0/ 18.12.2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।